Article Date	Headline / Summary	Publication
25 Mar 2026	मोटर इंश्योरेंस लेते समय न करें ये गलती, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान; आपके लि ए कौन सा प्लान है बेस्ट? समझें	Jagran

मोटर इंश्योरेंस लेते समय न करें ये गलती, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान; आपके लिए कौन सा प्लान है बेस्ट? समझें

Motor Insurance Policy: मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना आपको एक आसान और सामान्य काम लगता होगा। लेकिन, आप जानते हैं कि इसमें मामूली अनदेखी भी काफी महंगी साबित हो सकती है? पॉलिसीधारकों को अक्सर क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या से जूझना पड़ता है, जो आर्थिक संकट के साथ-साथ अनावश्यक तनाव का कारण भी बन सकती है।

Motor Insurance की पॉलिसी को रिन्यू करना यानी सिर्फ प्रीमियम भरना नहीं होता। यह अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने का एक अहम माध्यम भी होता है। समय पर रिन्यूअल, सटीक विवरण, पारदर्शी कम्युनिकेशन, सही कवरेज, वैध डॉक्यूमेंट और क्लेम हिस्ट्री में बरती गई ईमानदारी से ही यह सुनिश्चित होता है कि सबसे मुश्किल समय में आपको पॉलिसी का पूरा लाभ मिल सके। बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के चीफ टेक्निकल ऑफिसर (कॉमर्शियल) अमरनाथ सक्सेना हमें बता रहे हैं कुछ सामान्य गलतियों के बारे में, क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बन सकती हैं।

पॉलिसी लैप्स होना

इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाना सबसे आम गलतियों में एक है। अगर आप समय पर पॉलिसी रिन्यू कराना भूल जाते हैं और आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो आपकी कार बिना इंश्योरेंस के हो जाएगी। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी इस अंतराल में होने वाले किसी भी हादसे या नुकसान के लिए कोई भरपाई नहीं करेगी। खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉलिसी अवधि समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही उसे रिन्यू करा लें। ताकि, बिना किसी बाधा के कवरेज मिलता रहे। इसे याद रखने के लिए आप रिमाइंडर या ऑटो-रिन्यूअल विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी या वाहन के विवरण में गलती

कभी-कभी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त अपनी व्यक्तिगत जानकारी या वाहन का विवरण चेक नहीं करते। यदि इसमें जानकारी गलत दर्ज हो जाती है तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नाम की गलत स्पेलिंग, पुराना एड्रेस या गलत रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी छोटी-मोटी गलतियां भी क्लेम सेटलमेंट के समय विवाद का कारण बन सकती हैं। विवरण पूरी तरह सही होना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी जानकारी सबमिट करने से पहले दो बार चेक करें।

मॉडिफिकेशन का खुलासा न करना

कभी-कभी लोग अपने मोटर वाहन को अपनी सुविधानुसार मोडिफाइ करा लेते हैं। वाहन में कराए गए मॉडिफिकेशन की जानकारी बीमा कंपनी को न देना एक और बड़ी चूक होती है। अगर आप अपनी कार में अलॉय व्हील्स या म्यूजिक सिस्टम जैसी एक्सेसरीज़ लगवाते हैं। उसकी परफॉरमेंस अपग्रेड कराते हैं। या उपयोग का तरीका बदलते हैं, जैसे प्राइवेट से कॉमर्शियल। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए सही कवरेज का सुझाव दे सकती है।

गलत पॉलिसी चुनना

अपने वाहन के लिए गलत पॉलिसी चुनना भी उतना ही जोखिम भरा है, जितना बिना छाते के बरसात में निकलना। राइड-शेयरिंग या डिलीवरी सर्विसेज जैसे कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए प्राइवेट कार पॉलिसी का उपयोग करने पर इंश्योरेंस क्लेम मान्य नहीं हो सकता। उपयोग को लेकर आपकी तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर पॉलिसी जारी की जाती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका इंश्योरेंस कवर वैसा ही हो, जैसा आप वाहन का उपयोग कर रहे हैं।

ऐड-ऑन्स की अनदेखी

आप यदि ऐड-ऑन्स और कवरेज की जरूरतों की अनदेखी करते हैं तो आपको इंश्योरेंस का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। जैसे-जैसे आपकी कार पुरानी होती है या आपकी ड्राइविंग आदतों में बदलाव आता है, आप वार्षिक आधार पर अपने कवरेज का फिर से आकलन करते रहें। ज़ीरो-डेप्रिसिएशन कवर, रोडसाइड असिस्टेंस या इंजन प्रोटेक्शन जैसे ऐड-ऑन्स आपको अतिरिक्त निश्चिंतता प्रदान करते हैं। इन्हें नहीं लेने पर आपको उन खर्चों का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ सकता है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं हैं।

नो-क्लेम बोनस अपडेट नहीं करना

मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी मेंअगर आपने नो क्लेम बोनस या NCB अर्जित किया है तो रिन्यूअल के दौरान इसकी जानकारी अवश्य दें। इससे आपको डिस्काउंट का लाभ मिल सकेगा। इसे भूलने का मतलब है लाभ गंवाना, वहीं इसके लिए पात्र न होने के बावजूद क्लेम करने पर आपका क्लेम अस्वीकार हो सकता है। अपनी क्लेम हिस्ट्री और NCB की स्थिति में ईमानदारी बरतना आपकी पॉलिसी को विश्वसनीय बनाए रखता है।

वैध लाइसेंस या डॉक्यूमेंट के बिना गाड़ी चलाना

मोटर वाहन का इंश्योरेंस प्रभावी होने के बावजूद भी यदि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है। इन डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना और एक्सेस योग्य बनाए रखना आपकी पॉलिसी को रिन्यू कराने जितना ही महत्वपूर्ण है।